

## **(II) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य**

**प्रशासन:** सीबीएसई के अध्यक्ष बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और सचिव, सीबीएसई मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। कार्य का निपटान करने में संयुक्त सचिव (प्रशा.एवं विधि), उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और संबंधित सहायक सचिव का सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा-परीक्षक एवं वित्तीय सलाहकार (आई.ए.एफ.ए.) सभी वित्तीय और लेखा मामलों में सचिव का सहयोग करते हैं। प्रशासन, स्थापना, विधिक, छात्रवृत्ति, भर्ती, संपदा, हिंदी प्रकोष्ठ से संबंधित सभी कार्य प्रशासन के तहत आते हैं।

**परीक्षा शाखा:** यह दसवीं और बारहवीं स्तर की परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार है। शाखा का नेतृत्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाता है जिनका परीक्षा की गतिविधियों के समन्वय के लिए क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी तथा मुख्यालय में संयुक्त सचिव (समन्वय) द्वारा सहयोग किया जाता है।

**संबद्धता शाखा** का नेतृत्व सचिव, सीबीएसई द्वारा किया जाता है और उप सचिव (संबद्धता), सहायक सचिव (संबद्धता), विश्लेषकों और डेस्क अधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रत्येक विश्लेषक और डेस्क अधिकारी को सम्बद्धता संबंधी कार्य (नई संबद्धता, उन्नयन और संबद्धता के विस्तार सहित) सौंपा गया है। आवेदनों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन संसाधित किया जाता है। विवरण के लिए [www.cbseaff.nic.in](http://www.cbseaff.nic.in) देखें।

**सतर्कता इकाई:** का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है और सहायक सचिव (सतर्कता), सहायक सतर्कता अधिकारी और अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) द्वारा सहयोग किया जाता है। कर्मचारियों के सतर्कता व अनुशासनात्मक मामले और बोर्ड से जुड़े अन्य मामलों का निपटान करता है। विवरण के लिए [यहां क्लिक करें](#)।

**शैक्षणिक शाखा:** सीबीएसई से संबंधित सभी शैक्षणिक गतिविधियों का नेतृत्व निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार) द्वारा किया जाता है और संयुक्त सचिव (शैक्षणिक), अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों और सहायक निदेशकों द्वारा सहयोग किया जाता है। विवरण के लिए [www.cbseacademic.in](http://www.cbseacademic.in) देखें।

**संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) इकाई:** शाखा का नेतृत्व कार्यकारी निदेशक (जे.ए.बी) द्वारा किया जाता है जिनको उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और संबंधित सहायक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। विवरण के लिए [www.jeemain.nic.in](http://www.jeemain.nic.in) देखें।

**राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा इकाई:** इकाई का नेतृत्व विशेष इयुटी अधिकारी (एनईईटी) द्वारा किया जाता है जिनको उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और संबंधित सहायक सहयोग प्रदान करते हैं। विवरण के लिए [www.cbseneet.nic.in](http://www.cbseneet.nic.in) देखें।

**सीटीईटी, जेएनवीएसटी और विविध परीक्षा इकाई:** इकाई का नेतृत्व निदेशक (विविध परीक्षाएं) द्वारा किया जाता है जिनको संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और संबंधित सहायक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। विवरण के लिए [www.ctet.nic.in](http://www.ctet.nic.in) देखें।

**यूजीसी-एनईटी इकाई:** यूनिट का नेतृत्व निदेशक (यूजीसी-एनईटी) करते हैं, जिनको उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और संबंधित सहायक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। विवरण [www.cbsenet.nic.in](http://www.cbsenet.nic.in) पर देखें।

\*\*\*\*\*